



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-218

दिनांक 25/01/2023

रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि.

जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

श्री किशन सैनी पुत्र श्री सूरजमल सैनी,

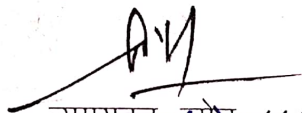
पंजीकृत कार्यालय- 709, ओके प्लस टावर,

सेक्टर-7 मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राज.।

विषय:-निजी खातेदारी की योजना रियासत कुन्ज, ग्राम बडी का बास तह. सांगानेर का अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम बडी का बास, तह. सांगानेर, जयपुर के खसरा नं. 107, 108, 113 कुल किता 03 कुल रकबा 01.5690 हैक्ट. भूमि में "रियासत कुन्ज" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बी.पी.सी.(एल.पी.) की 327वीं बैठक दिनांक 11.11.2022 में किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर तथा जविप्रा से रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

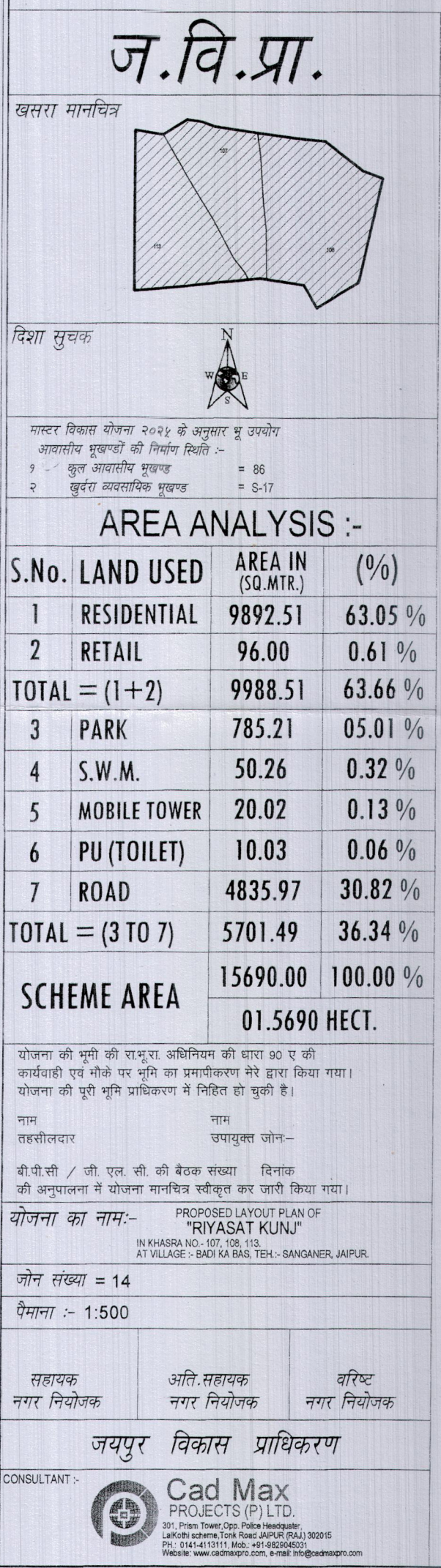
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
उपायुक्त, जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

$$\begin{array}{r} 1217 \\ \hline B \end{array}$$

JR. 
$$\begin{array}{r} 25.1.23. \end{array}$$

W  E  
S



1. राजस्व ग्राम बडी का बास के कुल किता 03रकबा 01.69 हैक्ट. भूमि की 90बी की कार्य वाही जरिये प्रकरण संख्या 40 / 2008 दिनांक 24.03.2008 एवं संशोधित 90बी आदेश कमांक JDA/ZONE/DC-14/D-3305 दिनांक 18.10.2022 को की गई है जिस की प्रति 9/सी व 176/सी पर संलग्न है।
2. योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्य वाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
3. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जौनल डबलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जौन-09 के अनुसार भू-उपयोग आवासीय दर्शित है।
4. योजना रियासत कुन्ज का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 327वीं बैठकदिनांक 11.11.2022 में किया गया है तथा बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.1(230) नविवि/जयपुर/2022 जयपुर दिनांक 09.01.2023 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
5. प्रस्तावित योजना के उत्तरी दिशा में विद्यमान सड़क को बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार 12.00 मीटर प्रस्तावित किया गया है।
6. योजना मानचित्र टॉनशपिंग पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
7. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
8. आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते हैं:-  
भू.सं. 33, 34, 35, 39, 40, 59, 60, 61, 72, 73 कुल भूखण्ड 10कुल क्षेत्रफल 1262.38 वर्गमीटर

|                                                                                                                    |                                               |                                               |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>AMIN</del></p> <p>AMIN (ZONE-14)</p> <p><del>34/12/23</del></p> <p><del>A.T.P</del></p> <p>B.P.C.(L.P)</p> | <p><del>Mam</del></p> <p>A.T.P. (ZONE-14)</p> | <p><del>Dehe</del></p> <p>T.D.R (ZONE-14)</p> | <p><del>23/1/23</del></p> <p><del>D.C. (ZONE-14)</del></p> <p><del>34/12/23</del></p> <p><del>A.C.T.P</del></p> <p><del>B.P.C.(L.P)</del></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.**  
301, Third Floor Prism Tower,  
Front of Police Head Quarters,  
1st Kotha Tank Road, JAIDPUR